


09.10.25

<sup>2</sup>  
 कृषि व न्यायण उपलब्ध । वादीगण की तरफ  
 से साक्षी उपलब्ध नहीं । जिन वादीगणों  
 से उपलब्ध नहीं वादीगणों के साथ  
 प्रमाण साक्ष्य हेतु कतिपय अवकाश  
 दिया है । उपलब्ध नहीं साक्ष्य हेतु  
 कतिपय अवकाश 50/- रु. की कोस्ट पर  
 दिया जाता है । कोस्ट बाशि वादीगण या  
 प्रतिवादीगण को देना होगा । पत्रावली  
 साक्ष्य वादी हेतु दिनांक 10.10.25 को  
 प्रेषित है । वादीगण से उपलब्ध नहीं  
 उपलब्ध नहीं ।

  
 अपर जिला न्यायाधीश  
 फतेहपुर-शेरावावाटी (सीकर) राज.